अहकाम जो हुआ
हुकम की तामील
में जारी हुआ

24 आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री पीयूष सुरोलिया ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। हस्तगत वाद के जरिये वादीगण का अनुतोष विरूद्ध सरकार किस्म जोहड भूमि होने से अधिवक्ता वादीगण की वाद पत्र के एडमिट स्तर पर ही बहस सुनी गई। वादीगण के द्वारा हस्तगत वाद के जरिये राजस्व ग्राम सिहोड तहसील खेतडी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 301 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जोहड की खातेदारी चाही है। पत्रावली पर वादीगण द्वारा पेश किये गये प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम सिहोड तहसील खेतडी के चारागाह खाता सख्या 324 में किस्म गैर मुमकीन जोहड दर्ज रिकार्ड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 1132/2011, एसएलपी (सी) नम्बर 3109/2011 उनवानी जगपालसिंह एव अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य में किस्म गैर मुमकीन जोहड की भूमि को निजी प्रयोजनार्थ आवटन हेतु निर्णय दिनाक 28.01.2011 से प्रतिबन्धित किया गया है। इसलिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रतिबन्धित भूमि के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। लिहाजा

:- आदेश :-

अत: वादीगण का हस्तगत वाद पोषणीय नही होने से एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनाक 13.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)